आदेश पत्रक

न्यायालय उपजिलाधिकारी
मण्डल [illegible]
वाद संख्या [illegible]
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या [illegible]
रामराजी महराजी स्मारक [illegible] न्यास ट्रस्ट [illegible]
अंतर्गत धारा- 80, अधिनियम - उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद रामराजी महराजी स्मारक जनसेवा न्यास ग्राम [illegible] पुत्र पंचदेव ग्राम भवरचकभवतर परगना बेलादोलताबाद तहसील लालगंज आजमगढ़ द्वारा [illegible] रा0सं0 2006 बाबत आ0नं0 591 रकबा 0.921हे0 में से रकबा 0.2590हे0 व आ0नं0 588 [illegible] मौजा भवतरचकभवतर परगना बेलादोलताबाद दाखिल हुआ। पत्रावली पर [illegible] मंगाई गई। तहसीलदार लालगंज द्वारा मौके की जाँचकर अपनी जाँच आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की गई। [illegible] लालगंज द्वारा अपनी जाँच आख्या दि0 01/07/2020 में उल्लेख किया गया कि आ0नं0 591 रकबा [illegible] आ0 नं0 588 रकबा 0.6110हे0 कुल दो गाटा रकबा 0.8127 पर वादी रामराजी महराजी स्मारक [illegible] ग्राम भवरचकभवतर द्वारा मुख्य ट्रस्टी ऋषिदेव पुत्र पंचदेव स्थानीय के नाम संक्रमणीय भूमिधर [illegible] वादी द्वारा उक्त आ0नं0 के रकबा0 8700हे0 पर विद्यालय का भवन बना रहे हैं। जो गैर कृषिक [illegible] उपयोग में लाया जाता है। मौके पर विवादित भूमि जोती कोई नहीं जाती है। [illegible] नं0 राज्य सरकार या ग्रामसभा की भूमि नहीं है। इस प्रकार आ0नं0 को अकृषिक भूमि व लगान मुक्त [illegible] जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित न्यायालय में प्रेषित की गई। [illegible] व वादी की तरफ से [illegible] जरिए अधिवक्ता की पहचान पर प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली पंजीकृत की गई। तथा वादी द्वारा निर्धारित न्यायशुल्क 47630रु0 व उद्घोषणा मूल्य 476[illegible] रु0 का स्टाम्प पेपर जमा किया गया। वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर बहस सुनने एवं [illegible] तहसीलदार की आख्या का सम्यक अवलोकन किया गया। विवादित आ0नं0 वादी की संक्रमणीय भूमिधरी [illegible] खतौनी में आ0 नं0 संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है किन्तु मौके पर वादी द्वारा रकबा [illegible] विद्यालय का भवन निर्माण कराया जा रहा है। आ0नं0 मौके पर जोती कोई नहीं जाती है बल्कि मौके पर भवन [illegible] निर्मित हो रहा है। इस प्रकार तहसीलदार की आख्या स्वीकार कर विवादित आ0नं0 के रकबा 0.8700हे0 को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किए जाने में कोई विधिक कठिनाई नहीं है।

आदेश

तहसीलदार लालगंज की आख्या स्वीकार की जाती है। ग्राम भवतरचकभवतर के वर्तमान खतौनी [illegible] आ0नं0 591 रकबा 0.2590 हे0 व आ0 नं0 588 रकबा 0.6110 हे0 कुल रकबा 0.8700हे0 लगान रु0 20.26[illegible] को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। आदेश का प्रभाव खतौनी पर दर्ज [illegible] अनुपालन पत्रावली दा0द0 हो।

(पंकज कुमार [illegible])
उपजिलाधिकारी
लालगंज आजमगढ़।

TRUE COPY

पृष्ठ संख्या :